

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
क्रमांक :- ई-33/ले.टे./1142/2018/ 102 दिनांक : 1.2.18

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 11 (7) वित्त/नियम /2008/ दिनांक 12.09.08 एवं संशोधित आदेश क्रमांक: एफ.14 (88) वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 एवं दिनांक 05.07.13 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार श्री मूल चन्द पंवार लैब टेक्नीशियन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 30.05.1995 है तथा राज्य सेवा में 18 वर्ष की सेवा अवधि दिनांक 30.05.2013 को पूर्ण करली है, के दिनांक 01.06.2002 से अधिक संतान होने के कारण वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक: एफ.14 (88) /एफडी/रुल्स/2008-II दिनांक 01.06.2017 की अनुपालना में 3 वर्ष पश्चात अर्थात् वित्त विभाग के उक्त परिपत्र के जारी होने की तिथि 01.06.2017 से पे बैंड 9300-34800 व ग्रेड-पे 4200 एसीपी स्वीकृत की जाती है।

उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन नियतन संबंधित अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/ले.टे./1142/2018/ 102

दिनांक : 1.2.18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, औसियां (जोधपुर)।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करे (0141-2222683 एवं इमेल आई.डी- add4ng@gmail.com)।
4. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर